क्रम-संख्या–587

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 6 सितम्बर, 1978

भाद्रपद 15, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 2390/सत्रह-वि0–1—94-1977

लखनऊ, 6 सितम्बर, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 4 सितम्बर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उ० प्र० अधिनियम संख्या 36, 1975 की धारा 10 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 की धारा 10 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"(5) यदि पूर्ववर्ती अंतिम उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को भिक्षुक माना जाय तो न्यायालय निम्नलिखित कोई आदेश दे सकता है, अर्थात्:—

(क) यदि मामले की परिस्थितियों से न्यायालय का समाधान हो जाय कि उस व्यक्ति द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक माना गया है, पुनः भिक्षा मांगने की संभावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता है कि वह उस अवधि में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त रहे, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहेगा और सदाचार रखेगा;

(ख) न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम न होगी और दो वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय किसी अनुवर्ती आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, ऐसी निरोध अवधि को कम कर सकता है।"

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2390/XVII-V-1—94-1977

Dated Lucknow, September 6, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhikshavritti Pratisheadh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 4, 1978:

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF BEGGARY (AMENDMENT) ACT, 1978

(U. P. Act No. 21 of 1978)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Beggary (Amendment) Act, 1978.

Amedment of section 10 of U. P. Act no. 36 of 1975.

2. In section 10 of the Uttar Pradesh Prohibition of Beggary Act, 1975, *for* sub-section (5), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(5) If a person is found to be a beggar under the last preceding sub-section the Court may pass any of the following orders, namely—

(*a*) If the Court is satisfied from the circumstances of the case that the person found to be a beggar as aforesaid is not likely to beg again, it may, after due admonition, release that person on a bond, with or without sureties, for his abstaining from begging, and being of good behaviour during the period in which the bond is in force ;

(*b*) The Court may order him to be detained in a Certified Institution for a period which shall be not less than one year and may extend up to two years :

Provided that the court may, by a subsequent order, and for reasons to be recorded, reduce the period of such detention."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 239 सा० (विज्ञा०)—3-9-78—(2013)—1978—650 (मैके०)।